लखानी के मज़दूर, देश के श्रम क़ानून लागू कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं; उनका साथ दीजिए

सत्यवीर सिंह

1105 रु. का गैस का सिलिंडर, 50 रु किलो आटा, 200 रु किलो दाल, 250 रु किलो सरसों तेल के ज़माने में, 11,000 रुपये महीना कमाने वाले मज़दूर कैसे जिंदा हैं, वे ही जानते हैं। क्या देश का कोई अर्थशास्त्री उनका मासिक बजट बना सकता है, या इतने पैसे में पूरे परिवार का गुजारा कर सकता है? मज़दूरों के बच्चे, फलों और दूध का स्वाद भूल चुके, उनके स्कूल छूट चुके हैं, इलाज कराना उनके बस में नहीं रहा। और, यदि वे 11,000 भी ना मिल रहे हों, सिर्फ़ आश्वासन ही मिल रहे हों, उनकी चीखें सुनने वाला, दूर-दूर तक कोई ना हो, तो इसे क्या कहा जाए? इसे कौन सा काल बोला जाए? ये 'मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी है, या इन्तेहा-ए-ऑटोक्रेसी!! गुनाह-ए-अज़ीम, अगर कुछ है, तो ये है।

शहीद-ए-आज़म भगतसिंह की ये पुकार ज़हन में गूंज जाती है "अगर कोई सरकार लोगों को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखती है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना, जनता का केवल अधिकार ही नहीं बल्कि आवश्यक कर्तव्य भी बन जाता है।"

फ़रीदाबाद, हरियाणा से शुरू होकर, यू पी में नोएडा, गाज़ियाबाद, उत्तराखंड में हरिद्वार और मध्यप्रदेश में धार तक फैले लखानी उद्योग समूह की एक ख़ासियत है; वे कोई श्रम क़ानून नहीं मानते। जूते-चप्पलों में 'लखानी' ब्रांड को घर-घर में लोकप्रिय बनाकर, लखानियों को दौलत के पहाड़ पर, इन्हीं मज़दूरों ने बैठाया है। इतना ही नहीं, दुनिया के नामी-गिरामी, रईसी का प्रतीक बन चुके, मंहगे ब्रांड, 'प्यूमा', 'एडीडास' और 'नाइकी' के जूते भी लखानियों के हुक्म पर, इन्हीं मज़दूरों के हाथ बनाते हैं। लेकिन जब वे, अपनी महीने भर की मेहनत का दाम, रु 11,000 मात्र मांगने जाते हैं, तो उन्हें सुनने को मिलता है: "बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मेरे अपने बच्चे हो, मैं बहुत ग़रीब हो गया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अब तुम अपने-अपने घर चले जाओ, 31 मार्च को सुबह आकर अपना पूरा हिसाब ले जाओ...अरे इतने सबेरे नहीं 2 बजे तक तो इंतज़ार करो... 5 अप्रैल को सुबह आकर अपना चेक ले जाओ.....10 अप्रैल को पक्का सबका सारा बक़ाया मिल जाएगा .....20 अप्रैल को हर हालत में भुगतान हो जाएगा....अंतहीन वादे....झूठी हमदर्दी.... फ़रेब ठगी....". शर्म उन्हें मगर नहीं आती!!!

लखानी कंपनी का मालिक, छोटा भाई, पीडी लखानी, पिछले 11 सालों से और बड़ा भाई, केसी लखानी 2 सालों से, भविष्य-निधि के अपने अंश दान की तो बात ही छोडिए, मज़दूरों के वेतन से की गई कटौती भी भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कर रहा!! इतना ही नहीं; 'तुम इस्तीफा लिखकर दे दो, तुम्हारा फाइनल हिसाब आज ही मिल जाएगा', कहकर, 10-10 सालों से काम कर रहे, कई सौ मज़दूरों को ज़बरदस्ती काम से निकाल दिया गया और आज तक वे मज़दूर, बकाया वेतन, ओवर-टाइम, बोनस, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का मज़दूरों का हिस्सा वसूल तो हो रहा है लेकिन उनमें कंपनी का हिस्सा मिलाकर, निगम में जमा नहीं हो रहा। बीमार हो जाने पर, मज़दूर और उनके परिवार, मोदी के इस अमृत काल में, मर जाने के लिए 'आजाद' हैं!! ये है भाजपा-संघ का 'विकास' और ये है इनकी देशभक्ति!! मोदी के 'विश्व-गुरु' भारत में, 'श्रम क़ानूनों का ये हश्र होगा, हम नहीं जानते थे', मज़दूर चीख रहे है। ये है भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार की करामात!! 'क़ानून अपना काम कर रहा है, एक ना एक दिन मज़दूरों के पीएफ का भुगतान ज़रूर होगा, शांति रखिए', कहने वाले भविष्य-निधि विभाग को शर्म से डूब मरना चाहिए!!

'वेतन क़ानून 1936' के अनुसार मज़दूर का वेतन, 'भविष्य निधि क़ानून, 1952' और 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम क़ानून 1948' के अनुसार, आवश्यक कटौतियां और कंपनी अंश-दान, आगामी माह की 7 तारीख तक, सरकारी खाते में जमा हो जाने चाहिए। ऐसा ना करना, दंडनीय आपराध है। प्रधानमंत्री ने, असंख्य कैमरों के सामने, संसद के गलियारे की सीढ़ियों पर, नाटकीय अंदाज़ में मत्था टेकने का पाखंड कर दिया, अब, योजनाबद्ध तरीक़े से संविधान और संसदीय मान्यताओं की धज्जियाँ उड़ाने का अपना असल अजेंडा लागू किया तो कौन रोकेगा!! मज़दूरों के संवैधानिक अधिकार बल व और छलपूर्वक छीने जा रहे है।

सबसे तक़लीफदेह तो वह हकीक़त है जिसे, श्रम क़ानूनों को लागू कराने के लिए ज़िम्मेदार विभागों के अधिकारी, दबी जुबान में बताते हैं। भविष्यनिधि विभाग, फ़रीदाबाद में तैनात, उप श्रम आयुक्त ने स्वयं, 26.10.22 को 30 मज़दूरों के सामने, अपने दफ़्तर में, ज्ञापन ग्रहण करते हुए, स्वीकार किया, कि उन्हें मालूम है कि पीडी लखानी 2012 से और केसी लखानी 2020 से मज़दूरों का काटा गया पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रहे है। इसी तरह श्रम विभाग भी जानता है कि श्रम क़ानून लागू नहीं हो रहे। "हम क्या करें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हरियाणा सरकार का लिखित हुक्म है कि मालिक जो मर्ज़ी करें, आप बीच में मत पड़ो। कोई कार्रवाई मत करो। गंभीर शिकायतें भी हों, तो पहले चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय कार्यालय से अनुमति लो। उसके बाद, मनमानी कर रहे कारखाना मालिक से, कारखाने में प्रवेश करने की अनुमति मांगो!! मतलब, चोरी की जांच चोर से अनुमति लेकर ही करो!!" सरकार जानती है कि केन्द्रीय कार्यालय से अनुमति कभी नहीं मिलेगी। मालिकों को मज़दूरों का खून चूसने की खुली छूट देना ही है, भाजपा सरकार का राष्ट्रवाद!!

सरकारी अधिकारियों को ये सिखाना नहीं पड़ता कि सरकार बहादुर क्या चाहती है। अपनी प्रखर बुद्धि से समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने में लग जाते हैं। पीएफ विभाग के अधिकारियों ने ये भी स्वीकार किया, कि लखानियों द्वारा लिए क़र्ज़ों का भुगतान ना करने पर, बैंकों ने इनकी संपत्तियां बेचकर अपनी वसूली कर ली। उन्हें ये भी मालूम है कि किसी कंपनी के दिवालिया होने, अथवा वसूली ट्रिब्यूनल में जाने के बाद हुई किसी भी वसूली में, सबसे पहला हक़ मज़दूरों का होता है। भविष्यनिधि विभाग चाहे तो आज भी, उन बैंकों से मज़दूरों के भविष्यनिधि की करोड़ों की रक़म वसूल कर सकता है। लेकिन वे यह भी जानते हैं कि ऐसा करने से सरकार ख़फ़ा होगी, इसलिए वे, "क़ानून अपना काम कर रहा है। एक ना एक दिन मज़दूरों के पैसे की वसूली ज़रूर होगी, हम पर भरोसा रखिए", कहकर मज़दूरों का क्रूर मखौल उड़ाते जाते है। वर्ना, ये ही भविष्य निधि विभाग है, जहां 2009-2013 के बीच, के एल तनेजा और विनीत गुप्ता तैनात थे। पीडी लखानी ने, मज़दूरों का भविष्य निधि अंश तब डकारना शुरू ही किया था कि कार्यालय की ओर से उन्हें फटकार लगी। अपनी फ़ितरत के मुताबिक़, जब लखानी ने उसे नज़रंदाज़ किया, तब उसे गिरफ्तार कर दफ्तर के कोने की एक कोठरी में डाल दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि बक़ाया का एक करोड़ रु का चेक जमा करने पर ही, उसे छोड़ा गया था। वे अधिकारी जानते थे कि, "क़ानून अपना काम कर रहा है, एक ना एक दिन मज़दूरों का पैसा ज़रूर वसूल होगा", कहना, ना सिर्फ़ आपराधिक ग़ैर-ज़िम्मेदारी है, बल्कि मालिकों द्वारा मज़दूरों के विरुद्ध की जा रही नंगी बे-ईमानी में, भागीदार होना है।

1) भविष्य निधि विभाग द्वारा, लखानी मालिकों द्वारा भविष्य निधि अंशदान की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। संपत्तियां बेचकर, बैंक अपनी वसूली कर ले गए और ये जानकारी होने के बाद भी, भविष्य निधि विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे मालिकों द्वारा किए गए अपराध में उनकी संलिप्तता ज़ाहिर होती है। कसूरवार भविष्यनिधि विभाग के इस पहलू की गंभीरता से जांच हो, तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। साथ ही, भविष्यनिधि अंशदान के भुगतान के लिए, लखानी मालिकों के विरुद्ध अपराधिक मुक़दमा दायर कर, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मज़दूरों की रक़म की वसूली, ब्याज व दंड सहित तत्काल की जाए. मज़दूरों के धैर्य की और परीक्षा ना ली जाए। 2) लखानी समूह की कंपनियां, देश के किसी भी श्रम कानून का पालन नहीं कर रही। मज़दूरों के कई महीनों के वेतन, ओवरटाइम, बोनस, ग्रेचुटी का भुगतान बाकी है। हरियाणा प्रशासन द्वारा, श्रम विभाग, भविष्य निधि, ईएसआईसी विभाग को, प्रशासन की पूर्व-अनुमति और श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे मालिकों को, पूर्व-सूचना दिए बगैर कोई कार्यवाही ना करने के आदेश अगर जारी किए हैं, तो उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। इनके बहुत गंभीर परिणाम होंग। मज़दूर ये ना-इंसाफ़ी बरदाश्त करने को तैयार नहीं है। उनका आक्रोश चरम पर है। सभी श्रम-कानून पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर क़दम उठाकर मज़दूरों से न्याय किया जाए. मज़दूरों का सारा बक़ाया पैसा, उन्हें ब्याज सहित तुरंत दिलाया जाए।

सेठों की ताबेदारी मजदूरों पर बुलडोजर

ये है भाजपा सरकार की देशभक्ति

लखानी मज़दूर संघर्ष समिति फरीदाबाद

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा फरीदाबाद

1947 में हुए दर्दनाक, दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे में, ख़ाली हाथ फ़रीदाबाद पहुंचे, लखानी परिवार के पास आज फ़रीदाबाद में, जूते-चप्पल बनाने के कुल कितने कारखाने हैं, कुल कितनी संपत्तियां हैं, कहना मुश्किल है। लखानी फुटवेयर, देश-विदेश में मशहूर हैं। छोटे भाई, पीडी लखानी के 'वरदान ग्रुप' का फुटवेयर के अलावा, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर ट्रेडिंग में भी विस्तार कर चुका है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस, कौशाम्बी गाज़ियाबाद में ह। बड़े भाई, केसी लखानी के 'अरमान ग्रुप' के कारखाने हैं; लखानी फुटवेयर प्रा. ली, लखानी रबर प्रोडक्ट्स लि., लखानी शूज एंड अप्पेरेल प्रा लि., मैस्कॉट फुटवेयर, लखानी रबर वर्क्स, लखानी सेल्स कारपोरेशन, लखानी अरमान शूज प्रा लि., लखानी चैरिटेबल ट्रस्ट। लखानी के अकेले 'अरमान' ग्रुप में कुल 8,000 से अधिक मज़दूर काम करते हैं. 'वरदान' ग्रुप में इससे कुछ कम, लेकिन कुल 12,000 से अधिक मज़दूर 'लखानी समूह' में काम करते है। हरियाणा की सरकारें, इन्हीं लखानियों को हरियाणा का गौरव बताते हुए, उन्हें सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति और अनेक ईनाम-ओ-इकराम से नवाज़ती आई हैं। मोदी सरकार-खट्टर सरकार के 'डबल इंजन' जनवाद की अंदर की असलियत ये है कि जैसे केंद्र सरकार को अडानी-अंबानी चला रहे हैं, ठीक उसी तरह राज्य की सरकारें, राज्य के बड़े सरमाएदार चला रहे हैं और ज़िले का प्रशासन ज़िले के सरमाएदारों के मातहत काम करता नज़र पड़ता है।

आन्दोलन की रूपरेखा

मज़दूर जब भी जागा है, इतिहास ने करवट बदली है

- मज़दूर दिवस 1 मई तक औद्योगिक मज़दूरों में उक्त पर्चे का सघन वितरण और नुक्कड़ सभाएं. मज़दूरों से सहानुभूति रखने वाले जन-समुदाय को इंसाफ की इस लड़ाई में शामिल किया जाएगा.

- फ़रीदाबाद में होने वाले, माननीय मुख्यमंत्री के आगामी 'जनता दरबार' में 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' भाग लेगी. अनुमति के लिए दाख़िल प्रार्थना पत्र का डायरी नंबर 2750555/07.04.23 है.

- रविवार, 16 अप्रैल को श्री मूलचंद शर्मा, माननीय परिवहन मंत्री, हरियाणा सरकार के दफ़्तर पर सुबह 11 बजे, आक्रोश प्रदर्शन-ज्ञापन. सभी साथी सुबह 10 बजे वाईएमसीए चौक, मथुरा रोड पर इकट्ठे होंगे.

- रविवार, 23 अप्रैल को श्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय ऊर्जा एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार के निवास/दफ़्तर पर सुबह 11 आक्रोश प्रदर्शन-ज्ञापन. सभी साथी सुबह 10 बजे, बड़खल मोड़ लाल बत्ती पर इकट्ठे होंगे.

- मोर्चा, सभा और ज्ञापन सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे डी सी फ़रीदाबाद; दोपहर 1 बजे उप-श्रमायुक्त फ़रीदाबाद, 3 बजे उप-भविष्यनिधि आयुक्त तथा 4 बजे क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी बीमा निगम आयुक्त

- 1 मई, मज़दूर दिवस पर मज़दूर रैली एवं सभा

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad